

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प रोडकला

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रोडकला व भूअ.नि.
रोडकला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार करौली / नायब तहसीलदार करौली
की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के
अनुसरण में ग्राम बखेडी तहसील करौली व जिला करौली की जमाबन्दी
सम्बत् 2069-72 में खाता संख्या 49.50 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप
से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क0स0	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	बखेडी	49,50	पिन्डू पुत्र हरवीर शेख वदरूर	अजयसिंह पुत्र हरवीर शेख वदरूर

याद
27/6/17

(
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत कारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,
दिनांक:- 27/6/17

क्रमांक:- 203
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करौली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री पिन्डू पुत्र हरवीर शेख को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली। अजयसिंह

(
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत कारी
उपखण्ड अधिकारी एवं